न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 237/18–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जोन कंडुलना – विक्रेता

पुनम केरकेट्टा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30.10.18	**आदेश**	

आवेदक जोन कंडुलना पिता स्व0 नथीनयल कंडुलना ग्राम रनिया कोय टोली, थाना रनियाँ, जिला खूँटी ने पुनम केरकेट्टा पिता श्री बुलका केरकेट्टा ग्राम डहु पुरनापानी, थाना रनियाँ, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड में)
रनिया	138	9	1498	0.06

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ निबंधन प ट्टा एवं लगान की रसीद सं0 0491220518 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के पत्रांक 351(ii) दिनांक 09.10.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बहरा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार जोन कंडुलना वगैरह के नाम 4.45 एकड़ हैं। आवेदक के हिस्से में कुल रकवा 4.45 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का प्रस्तावित दर 10910.00 (दस हजार नौ सौ दस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 4.39 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना रनियाँ के निवासी हैं एंव एक ही जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के द्वारा अनुशंसा किया गया है। अतः भूमि वि क्रय की अनुमति प्रदान की जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जोन कंडुलना पिता स्व0 नथीनयल कंडुलना को पुनम केरकेट्टा पिता श्री बुलका केरकेट्टा के साथ ग्राम रनिया के खाता सं0 9 खेसरा संख्या 1498 का रकबा 0.06 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10910.00 (दस हजार नौ सौ दस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, रनियाँ के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

30/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

30/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।